**आदेश 34, नियम 8-क सि. प्र. सं. के अधीन आवेदन पत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

आवेदक की निम्नलिखित रूप में अति सादर पूर्वक निवेदन करता है

1. यह कि एक अंतिम डिक्री यह घोषणा करते हुए तारीख................... को इस न्यायालय द्वारा पारित की गयी कि वादी तथा उसके अधीन दावा करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को बन्धक रखी गयी सम्पत्ति का मोचन करने के सभी अधिकारों से विवर्जित कर दिया जाता है और यह कि बन्धक रखी गयी सम्पत्ति को बेंच दिया जाय तथा उससे कम करके विक्रय के उत्पादों, विक्रय के खर्चों को संदाय किया जाय और प्रतिवादी को देय रकम के संदाय में उपयोजित किया जाय।
2. यह कि...................रुपये की एक रकम डिक्री के अधीन प्रतिवादी की देय है।
3. यह कि बंधक रखी गयी सम्पत्ति तारीख.. ......... को निष्पादन में विक्रय की गयी और...................रुपये की एक रकम की वसूली की गयी।
4. यह कि बन्धक रखी गयी (सम्पत्ति) के विक्रय के नेट उत्पाद प्रतिवादी को देय रकम का संदाय करने के लिए अपर्याप्त है और................रुपये की एक रकम अभी भी प्रतिवादी को संदेय है।
5. यह कि विरोधी पक्षकार का आवेदन पत्र के एक उपाबंध 'क' में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है और उसका उस पर कब्जा है।

**प्रार्थना**

अतएव, यह कि अतिसादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि...................रुपये के संदाय के लिए एक व्यक्तिगत डिक्री इस आवेदन पत्र के उपाबंध 'क' में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति में से वसूली जाने योग्य विरोधी पक्षकार (वादी) के विरुद्ध आवेदक के पक्ष में पारित कर दिया जाय।

यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**आवेदक**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**स्थान........**

**तारीख........**